

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम पंचायत आरणी जरिये ग्राम विकास अधिकारी  
बनाम

श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि हीरालाल जाट निवासी गोपालपुरा, ग्रा.पं. आरणी वगैरा

प्रकरण संख्या 109/2021 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर निगराकार भी उपस्थित नहीं। रूक-रूक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार पूर्व पेशी दिनांक 05.06.2024 पर भी अनुपस्थित रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	